

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैंप इन्दौर

TRM 11/1/218186

- १- मुन्नालाल पिता लच्छीराम,
निवासी साचरोदा तेहसील बडनावर,
जिला धार (मध्य प्रदेश).
- २- बामप्रकाश पित्तल हांगालाल,
निवासी मुण्डला तेहसील बडनावर,
जिला धार (मध्यप्रदेश).

----- प्राथीगण

विरुद्ध


मध्यप्रदेश शासन

--- विपक्षी

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०म०राजस्व संहिता

माननीय न्यायालय,

प्राथीगण की ओर से यह निगरानी श्री एन०सी०गोयल,
अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के अपील क्रमांक २।१६६५-६६
में पारित निर्णय दिनांक १२-१-१६६६ जिसके द्वारा अपीलान्टस की
अपील निरस्त करते हुए अपर क्लेक्टर, धार के स्वमेव पुनरीक्षा में
पारित निर्णय दिनांक ३१-८-१६६५ द्वारा पुनरीक्षा क्रमांक ११७।
६२-६३ तेहसीलदार, बडनावर द्वारा पारित नामान्तरण आदेश
को निरस्त किया उसे यथावत् रक्ते हुए अपील निरस्त की उससे असन्तुष्ट
एवं दुःखी होकर अन्दर अवधि अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर


P. S. HADA

R 219/96

EM

हुन्गालाल/नाम
कार्यवाही तथा आदेश

स्थान तथा दिनांक

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

17.11.2015

आवेदकगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। आवेदकगण की ओर से दिनांक 7.3.2008 की पेशी पर भी विपक्ष बतौर अभिभाषक उपस्थित हुए हैं। इसके उपरोक्त 7 वर्ष से भी अधिक का समय बर्तीत होने के उपरोक्त कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। वहां तक की दिनांक 13.6.2006 के पूर्व आवेदक क्रमांक 1 का स्वर्णविकास हो गया है, और 9 वर्ष तक उसके वारिस को अभिभाषक पद लेने की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः पक्षकारों के प्रकाश के निराकरण में धिक्के नहीं लेने के कारण समाप्त किया जाता है।

अभिभाषक
नाम

अभिभाषक